जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर

प्रधान कार्यालय : 847, सहकारी सदन, राईट टाउन, जबलपुर-482002, फोन नं. 0761-2406618,2410393 फैक्स नं. 0761 - 2407392
ई-मेल: dccbjbp@yahoo.com, http://dccbjbp.blogspot.in सी.बी.एस कक्ष : 0761-2419922 ई-मेल: cbsjabalpur.mp@gmail.com

क्रमांक/108/फील्ड/2016/ 03 जबलपुर, दिनांक : 01-4-2016

प्रति,

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
   सहकारी संस्थाएं, मप्र भोपाल
2. कलेक्टर,
   जिला जबलपुर / कटनी
3. प्रबंध संचालक,
   मप्र राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
   भोपाल
4. जिला विकास प्रबंधक
   नाबार्ड जबलपुर /कटनी
5. संयुक्त /उप/सहायक आयुक्त
   सहकारिता जबलपुर / कटनी
6. अग्रणी जिला प्रबंधक
   सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
   लीड बैंक जबलपुर /कटनी
7. उप संचालक,
   कृषि जबलपुर / कटनी
8. प्रबंधक,
   एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
   भोपाल

विषय :- **तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 30.03.2016 में लिए गए निर्णयानुसार संशोधित ऋणमान बाबद ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर की जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 30.03.2016 को कलेक्ट्रेट कार्यालय जबलपुर में आयोजित हुई जिसमें वर्ष 2016-17 हेतु ऋणमान सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए । खरीफ एवं रबी हेतु तकनीकी समूह व्दारा अनुमोदित ऋणमान संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
जबलपुर

दिनांक 30.03.2016 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर व्दारा जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक का अयोजन किया गया, जिसमें आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक व्दारा जारी दिशा–निर्देशों के परिपालन में कृषि, सहकारिता, लीड बैंक तथा जिले के प्रगतिशील कृषकों की उपस्थिति में प्रति हेक्टयर लागत व्यय व उत्पादन क्षमता के आधार पर वर्ष 2016–17 के लिए निम्नानुसार संशोधित ऋणनीति का निर्धारण किया जाता है । पंजीयक के पत्र क्रमांक साख/रिर्पोट/07/2004/3259 भोपाल दिनांक 14/15.07.2004 अनुसार तकनीकी समूह निर्धारित विषयों पर निर्णय हेतु मार्गदर्शी बिन्दु प्रदाय किए हैं तदानुसार निम्नानुसार बिन्दुवार प्रस्तावित है :–

विषय कमांक 1 :–

जिले में उन्नत रीति से उपजाई जाने वाली मुख्य फसलों को प्रति हेक्टयर औसत मूल्य तथा ऋण भुगतान क्षमता का आंकलन करना एवं मौसमी ऋण राशि का निर्धारण करना ।

1. **अल्पकालीन ऋण** :– फसल प्रणाली के अंर्तगत कृषक सदस्यों के लिए कृषि साख को दो भागों में विभाजित किया गया है :–

   (अ) नगद :– नगद साख सीमा में कृषकों को खेती में लगने वाले कार्यो को सम्मिलित किया गया है जैसे मजदूरी, खरपतवार, निंदाई,गुड़ाई आदि कार्यों के लिए कृषकों को नगद साख की आवश्यकता होती है ।

   (ब) वस्तु :– वस्तु साख सीमा में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाईयों, कल्चर, कृषि यंत्र आदि शामिल है ।

ऋण स्वीकृति का आधार प्रति हेक्टेयर लागत एवं आय :–

प्रत्येक कृषक सदस्य की आवश्यकता व निर्धारण, उसकी कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में उत्पादन की जा रही फसल प्रति हेक्टेयर के मान से उसके कुल कृषि उत्पादन लागत को माना गया है । इसमें अल्पावधि ऋणों की भुगतान क्षमता उसके कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत, उसके घरू कार्य के लिए छोड़कर शेष का 70 प्रतिशत अल्पकालीन ऋण के लिए एवं 30 प्रतिशत मध्यावधि ऋण के लिए ऋण भुगतान क्षमता मानी जाने के नाबार्ड के निर्देश हैं, इस अनुसार गत वर्षों में ऋणमान बनाए जाते थे । परिशिष्ट–अ में काश्त व्यय मापदण्ड प्रति हेक्टेयर के आधार पर परिशिष्ट ब, स एवं द में अल्पकालीन ऋण वितरण की दरें प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित की जाती हैं ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों व्दारा ऋणमान निर्धारण का आधार चाहा जाने पर अवगत कराया कि कृषि विभाग व्दारा उनके पत्र क्रमांक 624 दिनांक 25.02.2016 व्दारा प्रति हेक्टेयर काश्त व्यय की जानकारी प्रदान की गई है तदनुसार ही ऋणमान का निर्धारण पंजीयक व्दारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत किया गया है ।